औद्योगिक, कारपोरेट और अवसंरचना निष्पादन

06
अध्याय

पिछले तीन वर्षों में हुए धीमे औद्योगिक विकास के संबंध में पूर्ववर्ती धारणा, सकल घरेलू उत्पाद के नवीनतम अनुमानों से भिन्न है जो नई क्रियापद्धति पर आधारित है और जिसका आकलन आधार-वर्ष 2011-12 पर किया गया है। सकल घरेलू उत्पाद के नवीनतम अनुमान खनन और विनिर्माण क्षेत्र द्वारा प्रेरित औद्योगिक पुनरूद्धार का संकेत देते हैं। लेकिन, चालू वर्ष में ऋण वृद्धि, कारपारेट निष्पादन और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक धीमें औद्योगिक विकास की और लगातार इशारा कर रहे हैं। आठ प्रमुख उद्योगों के संदर्भ में अवसंरचना विकास वर्ष 2011-12 से औद्योगिक विकास से अधिक रहा है और इस रूझान के जारी रहने की संभावना है। आशा है कि औद्योगिक विकास में सुधार लाने के लिए वृहत स्तर पर क्षेत्रगत स्तर पर किए गए अनेक उपायों से कुछ समय के बाद अच्छे परिणाम हासिल होंगे।

6.2 वर्ष 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए, राष्ट्रीय खातों के संबंध में हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 में क्रमश: 2.4 प्रतिशत, 4.5 प्रतिशत तथा 5.9 प्रतिशत औद्योगिक विकास हुआ है जो आधार वर्ष के रूप में 2004-05 में इसी तरह के आंकड़ों के अनुसार हुई वृद्धि दर की अपेक्षा काफी बेहतर है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2013-14 में उद्योग में सकल पूंजी निर्माण में 1.4 प्रतिशत की वृद्धि यह दर्शाती है कि औद्योगिक विकास में सुधार पिछले साल शुरु हो गया था। इसके मुकाबले, औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक (आईआईपी) के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है जो यह संकेत देता है कि अप्रैल-दिसंबर 2014-15 में औद्योगिक विकास पिछले वर्ष की समान अवधि में 0.1 प्रतिशत की तुलना में 2.1 प्रतिशत था। अवसंरचना क्षेत्रों अर्थात विद्युत, कोयला और सीमेंट में सबसे ज्यादा सुधार हुआ। खनन क्षेत्र में विकास सकारात्मक रहा जबकि विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि शिथिल बनी रही। उपयोग आधारित वर्गीकरण के अर्थ में, मूलभूत तथा पूंजीगत वस्तुएं सुधार के पथ पर प्रतीत होती हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं अभी कठिनाइयों से उभरनी बाकी हैं तथा उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं से प्रेरित उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में ह्रास जारी है।

6.3 बिक्री और निवल लाभ में वृद्धि के संदर्भ में निजी क्षेत्र में सूचीबद्ध विनिर्माण कंपनियों के कारपोरेट क्षेत्र के निष्पादन में वर्ष 2014-15 की पहली तिमाही में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है। तथापि, वर्ष 2014-15 की दूसरी तिमाही में निष्पादन ने सतत सुधार की आशाओं को कम किया है। भारतीय रिजर्व बैंक की आदेश बही, वस्तु-सूची तथा क्षमता उपयोग सर्वेक्षण के सत्ताईसवें दौर के अनुसार वर्ष 2014-15 की पहली दो तिमाहियों में क्षमता उपयोग में कोई सुधार दिखायी नहीं दे रहा है।

6.4 व्यावसायिक समुदाय में विश्वास बहाल करने और औद्योगिक विकास को प्रेरित करने के लिए नई सोच के साथ एक नई व्यवस्था पहले हुई गड़बड़ी को ठीक करने का प्रयास कर रही है। बॉक्स 6.1 में औद्योगिक क्षेत्र में नई सरकार की कुछ पहले दी गई हैं। कारोबार करने में आसानी को तेजी से सुधारने तथा मेक इन इंडिया, डिजीटल इंडिया, राष्ट्रीय औद्योगिक कोरीडोर प्राधिकरण का सृजन, पर्यावरण और वन संबंधी स्वीकृतियों को सुचारू बनाना तथा श्रम सुधार जैसी नई पहलों को शुरू करने पर दबाव रहा है। भूमि के प्रयोग तथा प्राकृतिक संसाधनों को रोकने वाली महत्वपूर्ण कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए; भूमि अधिग्रहण, निजी कंपनियों के लिए कोल ब्लाकों की ई-नीलामी तथा लौह

बाक्स 6.1 : औद्योगिक विकास को प्रेरित करने के लिए हालिया उपाय

1. **व्यवसाय करने में आसानी:** व्यवसाय करने में आसानी संबंधी सूचकांक में भारत का दर्जा काफी नीचे है और अपने दर्जे में सुधार लाने के लिए इस सूचकांक के उन अनेक मापदण्डों में सुधार किए जाने की जरुरत है जो सूचकांक बनाते हैं। इनमें व्यवसाय शुरू करने, निर्माण परमिट संबंधी कार्रवाई करने, संपत्ति का पंजीकरण, विद्युत आपूर्ति, करों का भुगतान, संविदाएं लागू करने, दिवालियापन का समाधान आदि जैसे मुद्दे शामिल हैं। किए गए महत्वपूर्ण उपायों में लाइसेंसिंग का उदारीकरण और विनियंत्रण, लाईसेंस धारकों को भूमि प्राप्त करने और प्राधिकरणों से आवश्यक स्वीकृतियां/अनुमोदन लेने के लिए पर्याप्त समय देने के लिए लाईसेंसों की वैधता अवधि को बढ़ाना, खुदरा/एमआरआई/ईओयू विदेशी निवेशों से संबंधित मामलों में विदेशी निवेशकों द्वारा प्रस्तुत सभी आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए विशिष्ट समय सीमाओं वाली एक जांच सूची अपनाना, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम में पंजीकरण की प्रक्रियाओं का ऑटोमेशन, पर्यावरण और वन संबंधी स्वीकृतियों पर ऑनलाईन कार्रवाई करना, निर्यात संबंधी दस्तावेजों की संख्या में कमी लाना, स्वीकृतियां देने में राज्यों द्वारा सर्वोत्तम परिपाटियां अपनाना और सहकर्मी मूल्यांकन, स्वत: प्रमाणन इत्यादि के जरिए अनुपालन सुनिश्चित करना।

2. **मेक इन इण्डिया:** मेक इन इण्डिया कार्यक्रम का उद्देश्य है-निवेश को बढ़ावा देना, नवोन्मेष को प्रोत्साहित करना, कौशल विकास का संवर्धन, बौद्धिक संपदा का संरक्षण और बेहतरीन विनिर्माण अवसंरचना का निर्माण। पच्चीस क्षेत्रों से संबंधित जानकारी वेब पोर्टल पर एफडीआई नीति, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, औद्योगिक संपदा अधिकार, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा और अन्य राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारों के विवरण के साथ दी गई है। निवेशकों को मार्गदर्शन, उनकी सहायता और मदद करने के लिए 'इन्वेस्ट इण्डिया' में एक निवेशक सुविधा केन्द्र स्थापित किया गया है।

3. **ई-बिज परियोजना :** इस परियोजना के अंतर्गत 'सरकार से व्यवसाय की ओर' (गवर्नमेंट टू बिजनेस-जी2बी) पोर्टल स्थापित किया जा रहा है जो निवेशकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए वन स्टॉप शॉप का कार्य करेगा और व्यवसाय और उद्योग क्षेत्र की सभी जरूरतों को व्यवसाय के सम्पूर्ण जीवन चक्र के दौरान शुरूआत से अंत तक पूरा करेगा। औद्योगिक लाईसेंस और औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया ऑन-लाईन कर दी गई है और अब यह सेवा उद्यमियों के ई-बिज वेबसाईट पर 24 ग 7 आधार पर उपलब्ध है। केन्द्र सरकार की अन्य सेवाओं को भी उच्च प्राथमिकता देते हुए समेकित किया जा रहा है।

4. **कौशल विकास:** कौशल और उद्यमशील कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता का नया मंत्रालय स्थापित करने के बाद विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में कौशल प्रशिक्षण से संबंधित सामान्य मापदण्ड तय करने का कार्य किया जा रहा है। उद्योग/नियोक्ता के नेतृत्व में इकतीस क्षेत्र कौशल परिषदें (एसएससी) अब प्रचालनरत हैं और उन्हें 'मेक इन इण्डिया' के पच्चीस क्षेत्रों के साथ एकीकृत कर दिया गया है। देश में कौशल प्रशिक्षण और प्रमाणन के एक समान मानक तय करने के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी), स्कूल बोर्डों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) आदि को समान रूप करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

5. **पर्यावरण और वन संबंधी स्वीकृतियों को सुप्रभावी बनाना:** पर्यावरण, तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) और वन संबंधी स्वीकृतियों के आवेदनों को ऑनलाईन जमा करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। संघवाद को मजबूत बनाकर निर्णय लेने की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण किया गया है। औद्योगिक/शैक्षिक विकास सुनिश्चित करने के लिए ऐसे औद्योगिक शेडों के निर्माण की परियोजना में पर्यावरण संबंधी स्वीकृति लेने की शर्त हटा दी गई है, जहां संयंत्र और मशीनरी, शैक्षिक संस्थाएं और छात्रावास हों।

6. **श्रम क्षेत्र सुधार:** एक श्रम सुविधा पोर्टल शुरू किया गया है ताकि यूनिटों का ऑनलाईन पंजीकरण, यूनिटों द्वारा स्वत: प्रमाणित, सरलीकृत एकल ऑनलाईन रिटर्न जमा करना, जोखिम आधारित मापदण्डों के अनुसार कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के जरिए पारदर्शी श्रम निरीक्षण योजना की शुरूआत करना तथा बहत्तर घंटों के भीतर निरीक्षण रिपोर्टों को अपलोड किया जाना संभव हो सके तथा शिकायतों का यथा समय समाधान हो सके। कर्मचारी को अपने भविष्य निधि खाते को सुवाह्य, निर्बाध और सब जगह पहुंच वाला करने में मसर्थ बनाने के लिए सार्वभौम खाता नंबर शुरू किया गया है। प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 को अधिक लचीला तथा उसे युवा वर्ग एवं उद्योग जगत के लिए अधिक आकर्षक बनाने के लिए उसमें संशोधन किया गया है और प्रशिक्षुओं को नियोजित करने के लिए विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई की सहायता हेतु प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है।

अयस्क एवं अन्य नई कोयला खानों को सुचारू बनाने के लिए अध्यादेश पास करके विनियामक अनिश्चितता दूर करने हेतु कार्रवाई की गई है।

6.5 अवसंरचना में, गैस का मूल्य निर्धारण करने, कोयले और खनिजों की पारदर्शी नीलामी हेतु प्रक्रिया और पद्धतियां स्थापित करने तथा विद्युत उत्पादन और वितरण को सुधारने जैसे लंबे समय से पड़े हुए मुद्दों को सुलझाने पर ध्यान दिया गया है। रेलवे में, नीतिगत घोषणाओं जैसे रेल अवसंरचना की एक किस्म तैयार करने के लिए 100 प्रतिशत एफडीआई, बुलेट/सेमी हाई स्पीड ट्रेन जैसी नई पहलें, स्टेशनों का आधुनिकीकरण तथा डेडिकेटिड फ्रेट कोरीडोर जैसी मुख्य परियोजनाओं को समय से पूरा करने की कड़ी निगरानी की जा रही है। सड़क क्षेत्र में, उन परियोजनाओं से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए प्रयास किए गए हैं जिन्हें अभी पूरा किया जाना है और पूर्वोत्तर में राजमार्ग परियोजना के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लि॰ की स्थापना की गई।

आईआईपी-आधारित औद्योगिक निष्पादन

6.6 औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (आईआईपी) मौसमी समायोजन को अनदेखा करते हुए मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों के निष्पादन के त्वरित अनुमान प्रदान करता है। आईआईपी के अनुसार, औद्योगिक उत्पादन जो मंदा होकर 2008-09 में 2.5 प्रतिशत हो गया था, अगले दो वर्षों में बढ़कर 2010-11 में 8.2 प्रतिशत हो गया और लगातार अगले तीन वर्षों में गिरता रहा। 2014-15 में यह रुख पलट गया। धीमे होते औद्योगिक विकास के मुख्य कारण हैं:- लगातार बनी मुद्रास्फीति से निपटने के लिए उच्च ब्याज दरें, निवेश में व्याप्त मंदी और कारोबारी विश्वास में कमी।

6.7 अप्रैल-दिसंबर, 2014-15 के दौरान खनन क्षेत्र में सुधार तथा विद्युत क्षेत्र में प्रभावशाली विकास के कारण औद्योगिक उत्पादन ने 2.1 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त की है (सारणी 6.1)। विनिर्माण क्षेत्र ढीला रहा है, और उसने अप्रैल-दिसंबर, 2014-15 में 1.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। विनिर्माण क्षेत्र में कम वृद्धि मुख्यत: ब्याज की उच्च दर, अवसंरचना संबंधी अड़चनों तथा कम क्षेत्रीय और विदेशी मांग के कारण है।

6.8 अप्रैल-दिसंबर, 2014-15 के दौरान वर्ष 2013-14 की समान अवधि की तुलना में उपयोग आधारित वर्गीकरण के संदर्भ में, बुनियादी वस्तुओं तथा पूंजीगत वस्तुओं ने निष्पादन में काफी सुधार दर्शाया है तथा 6.9 प्रतिशत और 4.8 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की है, मध्यवर्ती वस्तुएं 1.7 प्रतिशत बढ़ी है जबकि उपभोक्ता वस्तुएं 4.9 प्रतिशत कम हुई है। उपभोक्ता वस्तुओं की वृद्धि में कमी उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में (-)15.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

संशोधित स.घ.उ. के अनुमानों पर आधारित औद्योगिक क्षेत्र का निष्पादन

6.9 हाल ही में जारी राष्ट्रीय खातों की नई श्रृंखला के अनुसार, आधार वर्ष 2004-05 को संशोधित करके 2011-12 करके तथा प्रक्रिया में परिवर्तन करके, जिनका ब्यौरा अभी तक उपलब्ध नहीं है, औद्योगिक क्षेत्र में विकास 2004-05 श्रृंखला पर आधारित अनुमानों की तुलना में वर्ष 2012-13 और 2013-14 में पर्याप्त रूप से बढ़ा है (सारणी 6.2)। यह मुख्यत: नई श्रृंखला के अनुसार खनन और विनिर्माण क्षेत्रों में बेहतर निष्पादन के कारण है। वर्ष 2013-14 में विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि 2004-05 श्रृंखला में अनुमानित (-)0.7 प्रतिशत की तुलना में 5.3 प्रतिशत अनुमानित की गई है। वर्ष 2014-15 के अग्रिम अनुमान यह दर्शाते हैं कि 2011-12 के आधार वर्ष के अनुसार औद्योगिक विकास 5.9 प्रतिशत हुआ है। वर्ष 2013-14 की तुलना में विनिर्माण विद्युत और निर्माण क्षेत्रों में काफी वृद्धि हुई है

सारणी 6.1 : औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक-वृद्धि दर (प्रतिशत)

	भार	2012-13	2013-14	2013-14				2014-15			
				क्यू1	क्यू2	क्यू3	अप्रैल-दिसंबर	क्यू1	क्यू2	क्यू3	अप्रैल-दिसंबर
सामान्य	100.00	1.1	-0.1	-1.0	1.9	-0.8	0.1	4.5	1.3	0.5	2.1
क्षेत्रीय											
खनन	14.16	-2.3	-0.6	-4.7	-0.2	0.5	-1.5	3.0	0.5	1.7	1.7
विनिर्माण	75.53	1.3	-0.8	-1.1	1.4	-1.6	-0.4	3.9	0.4	-0.8	1.2
बिजली	10.32	4.0	6.1	3.5	8.4	5.0	5.6	11.3	9.4	9.3	10.0
उपयोग आधारित											
बुनियादी वस्तुएं	45.68	2.5	2.1	-0.2	2.8	1.8	1.5	8.7	7.0	5.1	6.9
पूंजीगत वस्तुएं	8.83	-6.0	-3.6	-3.7	2.2	0.0	-0.4	13.6	-0.5	2.5	4.8
मध्यवर्ती वस्तुएं	15.69	1.6	3.1	1.6	3.8	3.9	3.1	3.1	1.6	0.3	1.7
उपभोक्ता वस्तुएं	29.81	2.4	-2.8	-2.1	-0.2	-6.1	-2.9	-3.2	-5.4	-6.4	-4.9
उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	8.46	2.0	2.8	-12.7	-9.5	-16.5	-12.9	-9.5	-15.5	-20.9	-15.2
उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुएं	21.35	-12.2	4.8	7.1	8.2	2.3	5.8	1.4	2.3	3.1	2.2

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ)

सारणी 6.2 : स्थिर मूल्यों पर उद्योग में वृद्धि में परिवर्तन (प्रतिशत)

	मद	2012-13		2013-14		2014-15 (अ. अनुमान)	
		2004-05 श्रृंखला	2011-12 श्रृंखला	2004-05 श्रृंखला	2011-12 श्रृंखला	2004-05 श्रृंखला	2011-12 श्रृंखला
i	खनन और खदान	-2.2	-0.2	-1.4	5.4	उ.न.	2.3
ii	विनिर्माण	1.1	6.2	-0.7	5.3	उ.न.	6.8
iii	विद्युत, गैस आदि	2.3	4.0	5.9	4.8	उ.न.	9.6
iv	निर्माण	1.1	-4.3	1.6	2.5	उ.न.	4.5
	उद्योग	**1.0**	**2.4**	**0.4**	**4.5**	**उ.न.**	**5.9**

स्रोत : सीएसओ
टिप्पणी : उ.न. : उपलब्ध नहीं।

जबकि खनन क्षेत्र में वृद्धि कम हुई है। विनिर्माण क्षेत्र में उन्नत निष्पादन, प्रक्रिया में परिवर्तन तथा नए आंकड़ों के स्रोतों के प्रयोग के कारण है। पिछले दो वर्षों की तुलना में वर्ष 2013-14 में विद्युत, गैस, जलापूर्ति तथा निर्माण में वृद्धि ने काफी सुधार दर्शाया है।

आठ मुख्य उद्योगों का कार्य निष्पादन

6.10 आठ मुख्य उद्योगों अर्थात कोयला, उर्वरक, विद्युत, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, इस्पात और सीमेंट, का मासिक सूचकांक, जिसमें आईआईपी में मदों के भारांश का 38 प्रतिशत शामिल है, समग्र आर्थिक कार्यकलापों के प्रभाव को आंकने के लिए जारी किया गया है। वर्ष 2011-12 से आठ मुख्य उद्योगों तथा आईआईपी में वार्षिक

चित्र 6.1: आईआईपी और बड़े आठ उद्योगों की वृद्धि

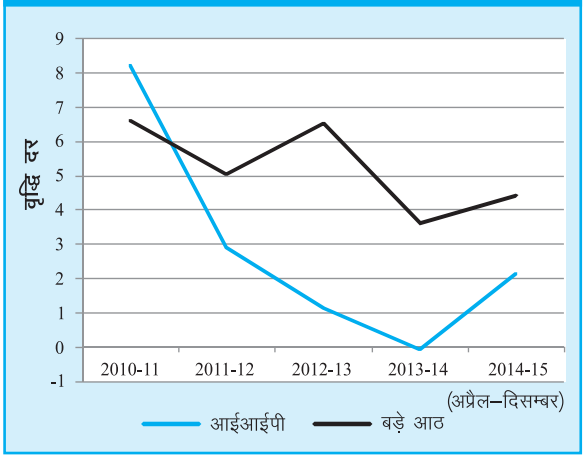

स्रोत : सीएसओ तथा आर्थिक सलाहकार, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी)

औसत वृद्धि दर के बीच तुलना (चित्र 6.1) यह दर्शाती है कि 2011-12 से आठ मुख्य उद्योगों की वार्षिक वृद्धि आईआईपी वार्षिक वृद्धि से ज्यादा है जो उपभोक्ता वस्तुओं की वृद्धि में मंदी को दर्शाती है।

6.11 अप्रैल-दिसंबर 2014-15 के दौरान आठ मुख्य उद्योगों में समग्र वृद्धि पिछले वर्ष की समान अवधि में 4.1 प्रतिशत की तुलना में मामूली सी बढ़कर 4.4 प्रतिशत हो गयी थी। विद्युत (9.7 प्रतिशत), कोयला (9.1 प्रतिशत) तथा सीमेंट (7.9 प्रतिशत) ने कार्य निष्पादन को बढ़ाया है जबकि प्राकृतिक गैस (-5.1 प्रतिशत), उर्वरक (-1.4 प्रतिशत), कच्चे तेल (-0.9 प्रतिशत), रिफायनरी उत्पाद (0.2 प्रतिशत) तथा इस्पात (1.6 प्रतिशत) वृद्धि में कमी के कारण रहे हैं। बिजली में सुधरा हुआ निष्पादन, ताप विद्युत उत्पादन में उच्च वृद्धि; कोयला खनन में कोल इंडिया लि. द्वारा उच्च उत्पादन व कैप्टिव खनन और सीमेंट में क्षमतावर्धन के कारण है। बड़ी खोज और पुराने तेल फील्डों में समस्या के कारण प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल का उत्पादन गिरा है। घरेलू मांग में कमी और सस्ते आयात के कारण घरेलू इस्पात का उत्पादन प्रभावित हुआ है। उर्वरक का उत्पादन भी घटा है जो मुख्यतया गैस की उपलब्धता नहीं होने और विगत कुछ वर्षों में कोई महत्वपूर्ण क्षमतावर्धन न होने के कारण हुआ है।

भारत और विश्व विनिर्माण की तुलनात्मक स्थिति

6.12 विश्व के विनिर्माण उत्पाद में भारत का हिस्सा 1.8 प्रतिशत है तथा भारत के निष्पादन की तुलना वैश्विक स्थिति से करना रुचिकर है। विश्व विनिर्माण उत्पादन

संबंधी यूएनआईडीओ की तिमाही रिपोर्ट के अनुसार विश्व विनिर्माण वृद्धि वर्ष 2014-15 की प्रथम तिमाही में 3.4 प्रतिशत तथा दूसरी तिमाही में 3.0 प्रतिशत थी। विनिर्माण के क्षेत्र में कम वृद्धि दर पूरी दुनिया में आम बात है क्योंकि औद्योगीकृत अर्थव्यवस्थाएं मंदी का सामना कर रही हैं और उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं का विकास बनाए रखना मुश्किल है क्योंकि ये वैश्विक बाजार में और अपनी संबंधित घरेलू अर्थव्यवस्था में कम मांग का सामना कर रही हैं। तंबाकू उत्पाद, अन्य परिवहन उपस्कर, मूलभूत धातुएं, रेडियो, टीवी तथा संचार संबंधी उपस्कर तथा मशीनरी, वे मुख्य मदें हैं जिन्होंने विश्व विनिर्माण उत्पाद को बढ़ाया है।

6.13 भारत का विनिर्माण उत्पाद पहली तिमाही में 3.9 प्रतिशत तथा दूसरी तिमाही में 0.4 प्रतिशत बढ़ा है। कुछ मदें, जिन्होंने वर्ष 2014-15 (अप्रैल-दिसंबर) में उच्च सकारात्मक वृद्धि दर्शायी है, वे हैं- विद्युत मशीनरी तथा उपकरण और मूलभूत धातुएं। ये सामान्य मद है जो विश्व विनिर्माण क्षेत्र मे सकारात्मक वृद्धि दर्शाते हैं। तथापि, भारत के मामले में, रेडियो, टीवी और संचार उपस्कर और उपकरण, कार्यालय, लेखांकन और अभिकलन मशीनरी जैसे मदों ने नकारात्मक वृद्धि दर्शायी है जबकि पूरे विश्व में इन मदों में सकारात्मक वृद्धि हुई है। इन मदों में विकास का लाभ उठाने के लिए भारत को वैश्विक विनिर्माण शृंखला का हिस्सा बनना होगा और घरेलू उत्पादन सुविधाएं स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को प्रोत्साहन दिए जाने की जरुरत है।

कारपोरेट क्षेत्र का निष्पादन

6.14 बिक्री तथा निवल लाभ में वृद्धि के संदर्भ में निजी क्षेत्र में सूचीबद्ध विनिर्माण कंपनियों के कारपोरेट क्षेत्र के निष्पादन में वर्ष 2014-15 की पहली तिमाही में आमूल-चूल परितर्वन हुआ है (चित्र 6.2)। तथापि, वर्ष 2014-15 की दूसरी तिमाही के निष्पादन ने सतत सुधार की आशाओं को कम किया है। उपर्युक्त कंपनियों की वर्षानुवर्ष बिक्री में वृद्धि उत्तरोत्तर तिमाही दर तिमाही घटी है, वर्ष 2012-13 की पहली तिमाही में 13.1 प्रतिशत से वर्ष 2013-14 पहली तिमाही में 0.8 प्रतिशत तक तथा बाद में वर्ष 2013-14 की अंतिम दो तिमाहियों में लगभग 5.0 प्रतिशत कम हुई है। वर्ष 2014-15 की पहली तिमाही तथा दूसरी तिमाही में क्रमशः 8.9 प्रतिशत तथा 4.2 प्रतिशत की बिक्री की रिकार्ड वृद्धि हुई है। इसी प्रकार, विनिर्माण क्षेत्र में व्यय वृद्धि वर्ष 2012-13 की पहली तिमाही से वर्ष 2013-14 की पहली तिमाही तक उत्तरोतर कम हुई है और बाद में वर्ष 2014-15 की दूसरी तिमाही तक इसमें उतार-चढ़ाव हुए हैं, जब यह वर्ष 2014-15 की पहली तिमाही में 8.2 प्रतिशत से गिरकर 3.8 प्रतिशत हो गयी। निवल लाभ वृद्धि वर्ष 2013-14 की चौथी तिमाही में 4.6 प्रतिशत से वर्ष 2014-15 की पहली तिमाही में 34.7 प्रतिशत तक तेजी से बढ़ी तथा वर्ष 2014-15 की दूसरी तिमाही में 24.1 प्रतिशत रही। हालांकि निजी क्षेत्र की विनिर्माण कंपनियों के मामले में, पिछले दो वर्षों में बिक्री में वृद्धि अवरुद्ध रही है, फिर भी 2013-14 की अंतिम तिमाही से निवल लाभ में बढ़ोतरी शुरू हो गयी है जिससे यह बात पता चलती है कि कंपनियों की कार्यदक्षता बढ़ गयी है। यह भारत में विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए शुभ संकेत हैं।

6.15 भारतीय रिजर्व बैंक के ''आदेश बही, वस्तु-सूची और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण (ओबीकस) के सत्ताईसवें दौर में यथामापित क्षमता उपयोग में पूर्ववर्ती तिमाही की तुलना में 2014-15 की दूसरी तिमाही में वृद्धि दर्ज की गई, हालांकि यह एक वर्ष पूर्व के स्तर से कम थी। नए आदेशों में वृद्धि (वर्षानुवर्ष) 2014-15 की पहली तिमाही के 12.0 प्रतिशत से कम होकर 2014-15 की दूसरी तिमाही मे 5.6 प्रतिशत रह गयी। परिष्कृत माल सूची और बिक्री का अनुपात 2014-15 की दूसरी तिमाही में 18.0 प्रतिशत के स्तर पर रहता हुआ पिछली तिमाही के ही समान था लेकिन एक वर्ष पूर्व के स्तर से कम था। कच्चा माल सूची और बिक्री का अनुपात तिमाही दर तिमाही और वर्षानुवर्ष दोनों आधारों पर 2014-15 की दूसरी तिमाही में कम हो गया।

औद्योगिक क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण

6.16 वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय, खपत व्यय और पूंजी निर्माण के संबंध में उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) की दर वर्ष 2012-13 में 37.2 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2013-14 मे 33.4 प्रतिशत रह गयी है। उद्योग में जीसीएफ की वृद्धि दर वर्ष 2012-13 में (-)0.7 प्रतिशत की वृद्धि से वर्ष 2013-14 में 1.4 प्रतिशत तक बढ़ गयी है जो उद्योग में निवेश में थोड़ी वृद्धि दर्शाती है (सारणी 6.3)।

चित्र 6.2: निजी क्षेत्र में सूचीबद्ध विनिर्माण कंपनियों की बिक्रियों, व्यय और निबल लाभ में वृद्धि

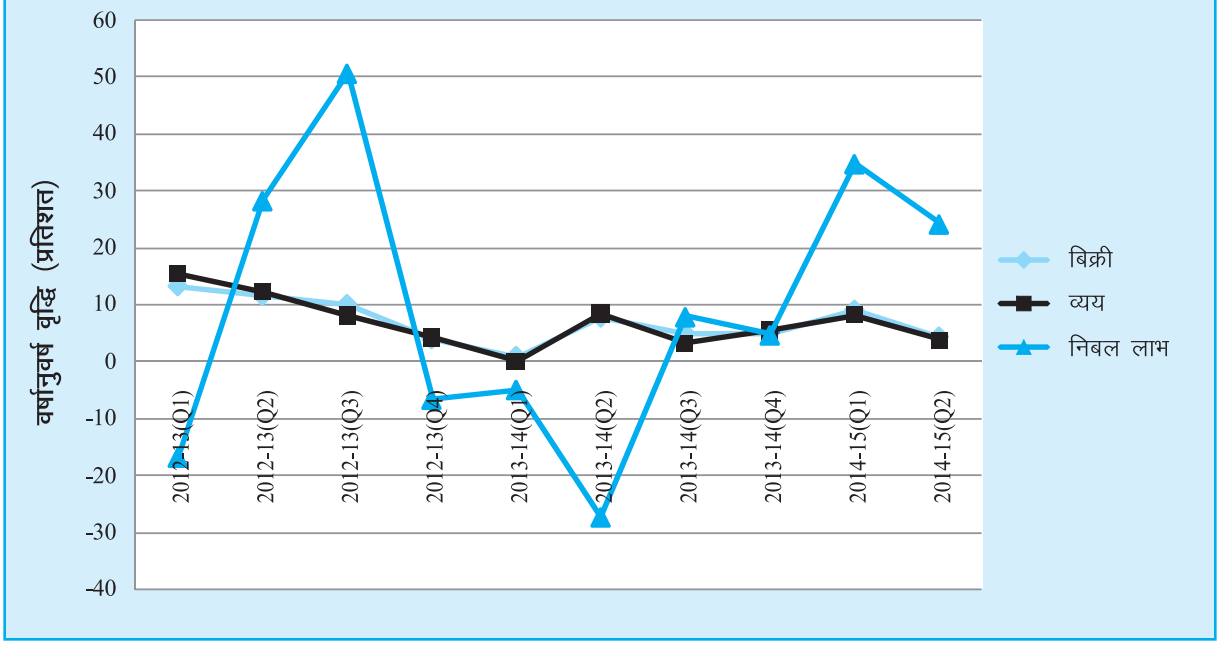

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

वर्ष 2011-12 से वर्ष 2013-14 की अवधि में समग्र जीसीएफ में क्षेत्रवार हिस्सा यह दर्शाता है कि खनन और विद्युत क्षेत्रों का हिस्सा धीरे-धीरे बढ़ा है, विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा स्थिर रहा है तथा निर्माण क्षेत्र का हिस्सा घटा है।

सारणी 6.3 : स्थिर मूल्यों (2011-12) पर उद्योग के प्रयोग से सकल पूंजी निर्माण (प्रतिशत)

	2011-12	2012-13	2013-14
उद्योग में जीसीएफ की वृद्धि की दर		-0.7	1.4
समग्र जीसीएफ में क्षेत्रवार हिस्सेदारी			
i. खनन	2.1	2.4	3.1
ii. विनिर्माण	19.7	21.0	19.6
iii. विद्युत	9.0	9.8	10.2
iv. निर्माण	6.5	5.8	5.5

स्रोत : सीएसओ

औद्योगिक क्षेत्रों को प्राप्त ऋण का प्रवाह

6.17 विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों को दिए गए सकल बैंक ऋणों के नियोजन में हुई वृद्धि संबंधी आंकड़ों से निवेश के बारे में कुछ जानकारी मिलती है (सारणी 6.4)। खनन क्षेत्र को छोड़कर 2013-14 की तुलना में अन्य सभी प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में 2014-15 में ऋण-वृद्धि में कमी देखी गई है। विनिर्माण क्षेत्र में 2014-15 में 13.3 प्रतिशत के स्तर पर ऋण प्रभाव में हुई वृद्धि 2013-14 की 25.4 प्रतिशत की वृद्धि से कम है जो उस क्षेत्र में हो रही धीमी वृद्धि को प्रतिबिम्बित करती है। रसायन, खाद्य प्रसंस्करण और वस्त्र उद्योग में 2014-15 में ऋण वृद्धि में तीव्र गिरावट देखी गई है। 2014-15 में सूक्ष्म और लघु उद्योगों को मिलने वाले ऋण में 13.3 प्रतिशत की दर पर वृद्धि हुई, जबकि मध्यम और बड़े उद्योगों को प्राप्त ऋण में वृद्धि क्रमश 0.7 प्रतिशत और 6.1 प्रतिशत रही।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र

6.18 3.61 करोड़ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) देश की जीडीपी में 37.5 का अंशदान करते हैं, जिसकी औद्योगिक विकास और 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को मजबूत बनाने में अहम भूमिका है। नए

सारणी 6.4: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योग को दिए गए ऋण में वृद्धि (प्रतिशत)

क्षेत्र	2013-14*	2014-15**
उद्योग	14.1	6.8
विनिर्माण	25.4	13.3
खनन	1.2	3.5
विनिर्माण उप-क्षेत्र		
स्वास्थ्य परिष्करण	31.0	12.1
वस्त्र	14.0	3.1
पेट्रोलियम और नाभिकीय ईंधन	-3.1	-7.4
सीमेंट और सीमेंट उत्पाद	18.6	5.6
रसायन और रसायन उत्पाद	19.6	-8.9
बुनियादी धातु और धातु उत्पाद	15.1	7.3
आधारभूत धातु और धातु उत्पाद	16.3	6.5
सभी इंजीनियरिंग	15.6	5.0
परिवहन उपस्कर	-2.5	-3.1

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक ।

टिप्पणी: * दिसंबर अंत 2012 की तुलना में दिसंबर-अंत 2013 में
** दिसंबर अंत 2013 की तुलना में दिसंबर अंत 2014 में ।

एमएसएमई को स्थापित करने और विद्यमान एमएसएमई की वृद्धि व विकास के लिए अनेक स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं। इनमें (क) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (ख) सूक्ष्म और लघु उद्यम-समूह विकास कार्यक्रम (ग) लघु और मध्यम उद्यमों के लिए ऋण गारंटी फंड (घ) निष्पादन और ऋण रेटिंग स्कीम (ङ) प्रशिक्षण संस्थाओं को सहायता और (च) परम्परागत उद्योगों को उन्नत करने के लिए फंड स्कीम।

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

6.19 विभिन्न उद्योगों और अवसंरचना क्षेत्र में फैले केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अर्थव्यवस्था के विकास में बड़ी भूमिका जारी है। 31 मार्च 2014 को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण में कुल 290 सीपीएसई विद्यमान हैं। इनमें 234 चल रहे हैं और 56 निर्माणाधीन थे। 31 मार्च 2014 के अनुसार सभी सीपीएसई में वित्तीय निवेश (चुकता पूंजी+लम्बी अवधि के ऋण) 9,92,971 करोड़ रुपये थे जो 2012-13 से 17.46 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। 2013-14 में 163 लाभ कमाने वाले सीपीएसई का कुल लाभ 1,49,164 करोड़ रुपये था। हानि उठाने वाले 71 सीपीएसई की कुल हानि 20,055 करोड़ रु॰ थी। तेल और प्राकृतिक गैस निगम लि., कोल इण्डिया लि., एनटीपीसी, भारतीय तेल निगम लि. और एनएमडीसी लि., वर्ष 2013-14 के दौरान सर्वाधिक लाभ अर्जन करने वाले पांच सीपीएसई थे। भारत संचार निगम लि., एयर इण्डिया लि., हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैनुफैक्चरिंग केबल लि. और स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि. सर्वाधिक घाटे वाले 5 सीपीएसई थे। सीपीएसई का लाभांश भुगतान, सरकारी ऋण पर ब्याज और करों व शुल्कों के भुगतान से सरकारी राजकोष में अंशदान 2012-13 के 1,63,207 करोड़ रुपए से बढ़कर 2013-14 में 2,20,161 करोड़ रुपए था। यह मुख्यत: लाभांश भुगतान, उत्पाद शुल्क, कारपोरेट कर और लाभांश कर के अंशदान में वृद्धि के कारण हुआ।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

6.20 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए निवेशक-अनुकूल नीति बनाई गई है, जिसके अंतर्गत आटोमेटिक रूट के अधीन सभी क्षेत्रों/गतिविधियों में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है। वर्ष 2014 में एफडीआई नीति को और अधिक उदार बनाया गया। रक्षा उद्योग में सरकार के माध्यम से 49 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति प्रदान की गई। इसके अलावा, मामला दर मामला आधार पर भी अधिक एफडीआई की अनुमति दी गई है। रेल परिवहन की निर्धारित अवसंरचना के निर्माण, प्रचालन और रख-रखाव में स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति दी गई है। निधियों के पूंजीकरण और प्रत्यावर्तन तथा न्यूनतम भू-क्षेत्र से संबंधित निर्माण विकास परियोजनाओं में एफडीआई संबंधी मापदण्डों को और उदार बनाया गया है।

6.21 अप्रैल-नवम्बर 2014-15 के दौरान कुल एफडीआई अन्तर्वाह (इक्विटी अन्तर्वाह, पुन: निवेशित अर्जन और अन्य पूंजी सहित) 27.4 बिलियन अमरीकी डालर रहे जबकि एफडीआई इक्विटी अन्तर्वाह 18.9 बिलियन अमरीकी डालर के थे। अप्रैल 2000 से नवम्बर 2014 तक संचयी एफडीआई अन्तर्वाह 350.9 बिलियन अमरीकी डालर रहे। सेवाओं, निर्माण, दूर-संचार, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, औषधि और भेषज, आटोमोबाईल उद्योग, रसायन, विद्युत आदि की कुल अंतर्वाहों में आनुपातिक उच्च वृद्धि हुई।

अवसंरचना क्षेत्र का कार्य निष्पादन-विशिष्ट क्षेत्र

विद्युत

6.22 वर्ष 2019 तक, देश में 24 x 7 विद्युत आपूर्ति करने के लिए, विद्युत उत्पादन बढ़ाने, पारेषण और वितरण प्रक्रिया को मजबूत बनाने, फीडर के पृथक्करण और उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की मीटरिंग के संबंध में अनेक निर्णय लिए गए हैं। विद्युत क्षेत्र में सुधार शुरू करने, प्रचालन में प्रतिस्पर्धा और कार्यदक्षता को बढ़ावा देने और बिजली की आपूर्ति के स्तर में सुधार लाने के लिए लोक सभा में बिजली (संशोधन) विधेयक, 2014 पेश किया गया है।

उत्पादन

6.23 विद्युत संयंत्रों द्वारा किया गया बिजली का उत्पादन अप्रैल-दिसम्बर 2014 के दौरान लक्ष्य से अधिक हुआ। जबकि लक्ष्य 765.39 बिलियन यूनिट था और उपलब्धि 793.73 बिलियन यूनिट रही। अप्रैल-दिसम्बर 2014-15 के दौरान तापीय क्षेत्र में विद्युत उत्पादन में हुई वृद्धि 9.9 प्रतिशत थी जो द्वि-अंकीय वृद्धि से प्रेरित थी (सारणी 6.5)। 2014-15 के दौरान जल विद्युत उत्पादन में हुई ऋणात्मक वृद्धि मुख्यत: खराब मानसून के कारण थी।

6.24 अप्रैल-दिसम्बर 2014-15 में तापीय विद्युत श्रेणी में कोयले, लिग्नाईट और गैस आधारित विद्युत केन्द्रों में उत्पादित बिजली क्रमश: 14.41 प्रतिशत, 9.64 प्रतिशत और (-)3.89 प्रतिशत रही थी। समग्र संयंत्र भार कारक (पीएलएफ) जो तापीय विद्युत केन्द्रों की कार्यदक्षता का एक पैमाना है, अप्रैल-दिसम्बर 2014 के दौरान 65.09 प्रतिशत था जबकि अप्रैल-दिसम्बर 2013 के दौरान 64.57 प्रतिशत का पीएलएफ रहा था।

क्षमता वर्धन

6.25 बारहवीं योजना अवधि के दौरान 88,537 मेगावाट की क्षमता वर्धन का लक्ष्य रखा गया है जिसमें क्रमश: केन्द्रीय क्षेत्र में 26,182 मेगावाट, राज्य क्षेत्र में 15,530 मेगावाट और निजी क्षेत्र में 46,825 मेगावाट है। 2014-15 में 17,830.3 मेगावाट के क्षमता वर्धन लक्ष्य की तुलना में दिनांक 31.12.2014 तक 11,610.41 मेगावाट (चालू की गई 1,000 मेगावाट की परमाणु क्षमता सहित) का क्षमता वर्धन किया गया है। इस तरह 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार, संचयी क्षमता वर्धन 50,058.22 मेगावाट रहा है, जो बारहवीं योजना में परिकल्पित लक्ष्य का 56.5 प्रतिशत है। इस अवधि में केन्द्रीय, राज्य और निजी क्षेत्रों द्वारा हासिल किए गए अलग-अलग लक्ष्य क्रमश: 39.2 प्रतिशत, 64.5 प्रतिशत और 63.6 प्रतिशत हैं।

वितरण

6.26 समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी एण्ड सी) हानियों को कम करने, आईटी समर्थित ऊर्जा लेखांकन/लेखा परीक्षा की व्यवस्था स्थापित करने और सामूहिक कार्य दक्षता में सुधार लाने के लिए नई योजना अर्थात् समेकित विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) शुरू की गई है जिसमें ''पुनर्संरचित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम'' (आर-एपीडीआरपी) को शामिल कर लिया गया है। आईपीडीएस के लिए 32,612 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। आईपीडीएस की मुख्य विशेषताएं हैं - शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क को मजबूत बनाना, शहरी क्षेत्रों में वितरण/फीडर/ट्रांसफार्मर/उपभोक्ताओं को मीटर व्यवस्था से जोड़ना और छतों पर सौर पैनल लगाना।

सारणी 6.5 : संयंत्रों द्वारा विद्युत उत्पादन (बिलियन यूनिट)

श्रेणी	अप्रैल-मार्च			अप्रैल-दिसंबर		
	2012-13	2013-14	वृद्धि प्रतिशत	2013-14	2014-15	वृद्धि प्रतिशत
विद्युत उत्पादन	912.06	967.15	6.04	722.11	793.73	9.91
पन बिजली#	113.72	134.85	18.58	110.76	106.73	-3.64
ताप	760.68	792.48	4.18	580.81	657.06	13.13
नाभिकीय	32.87	34.27	4.14	25.11	25.04	-0.28
भूटान से आयात	4.80	5.60	16.75	5.44	4.90	-9.91

स्रोत : विद्युत मंत्रालय

टिप्पणी : #25 मेगावाट से अधिक उत्पादन वाले पन बिजली स्टेशन।

6.27 'दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना' (डीडीयू-जीजेवाई) नामक एक नई योजना शुरू की गई है। इसके उद्देश्य हैं (क) कृषि एवं गैर कृषि उपभोक्ताओं के लिए विवेकपूर्ण ढंग से बिजली की आपूर्ति के लिए वितरण कंपनियों को सुविधा मुहैया कराने के लिए कृषि तथा गैर-कृषि उपभोक्ताओं को अलग-अलग रखना (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण एवं संवितरण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और संवर्धन (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में मीटरिंग। मौजूदा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरपीपीवीवाई) को नई योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस नई योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए निजी क्षेत्र की वितरण कंपनियों के साथ-साथ सभी वितरण कंपनियां भी पात्र हैं।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस

उत्पादन

6.28 विगत चार वर्षों में कच्चे तेल का वार्षिक घरेलू उत्पादन 38 मिलियन टन पर स्थिर बना रहा है। अप्रैल-दिसम्बर 2014-15 के दौरान, कच्चे तेल का घरेलू उत्पादन 28.171 मिलियन मीट्रिक टन था जो विगत वर्ष की उसी अवधि में 28.423 एमएमटी के आस-पास था। आरजे-ओ एन-90/1 में संचालनात्मक समस्या, आंध्र प्रदेश में गेल पाइपलाइन में आग दुर्घटना और असम में दीर्घकालीन बंद तथा अवरोधों के कारण उत्पादन प्रभावित हुआ।

6.29 अप्रैल-दिसम्बर 2014-15 के दौरान गैस उत्पादन 2013-14 की तदनुरूप अवधि के दौरान 26.698 बीसीएम की तुलना में 25.320 बीसीएम था जिसमें 5.1 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। प्राकृतिक गैस के उत्पादन में आई गिरावट का कारण बसेन तथा सेटेलाइट फील्ड में हुआ कम उत्पादन, एम एण्ड एस ताप्ती में छह नए ड्रिल किए कुओं का कम निष्पादन, के जी-डी 6 में एक कुआं बंद होने तथा गेल पाइपलाइन दुर्घटना के कारण असंबद्ध गैस के कुएं का बंद होना है।

6.30 विदेश में भारतीय कंपनियों द्वारा अधिगृहीत तेल तथा गैस आस्तियों से घरेलू उत्पादन को पूरा किया जाता है। अप्रैल-दिसम्बर 2014-15 के दौरान आस्तियों से कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस का उत्पादन क्रमश: 4.135 एमएमटी तथा 2.417 बीसीएम था। बॉक्स 6.2 में कच्च तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ उपाय सूचीबद्ध किए गए हैं।

बाक्स 6.2 : कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हाल ही में की गई नीतिगत पहलें

- **गैस के मूल्य-निर्धारण का नया सूत्र:** सरकार ने गैस के मूल्य निर्धारण का नया सूत्र 18 अक्तूबर, 2014 को अनुमोदित कर दिया तथा गैस के मूल्य निर्धारण के नए दिशा-निर्देश, 2014 जारी कर दिए। देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस की कीमत में बढ़ोतरी, निवेशकों की उम्मीदों और उपभोक्ताओं के हित में अच्छा संतुलन स्थापित करती है।
- **अन्वेषण में निवेश को बढ़ाने के लिए उत्पादन साझा करारों में सुधार:** सरकार ने उत्पादन सांझा करारों में मौजूद अनेक जटिलताओं को दूर किया है ताकि निवेशकों का हौसला बना रहे तथा यह सुनिश्चित हो सके कि जो कार्य कई ब्लाकों में रूक गए थे, तत्काल तथा आगे किसी विलंब के बिना पूरे हों।
- **हाइड्रोकार्बन क्षमता का पुन:मूल्यांकन:** भारतीय तलहटीय बेसिन में हाइड्रोकार्बन संसाधनों का पुन:मूल्यांकन करने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की गई है। बेसिन की संभावनाओं के संबंध में भावी निवेशकों को और स्पष्ट जानकारी प्रदान करेगी।
- **भारत के मूल्यांकन न किए गए तलछटीय बेसिनों की सर्वेक्षण परियोजना:** चौबीस तलछटीय बेसिनों, जहां पर छुटपुट भू-वैज्ञानिक आंकड़े उपलब्ध हैं, के लगभग 1.5 मिलियन वर्ग कि॰मी॰ का मूल्यांकन करने के लिए एक परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत एकत्र किए गए आंकड़े, राष्ट्रीय आंकड़ा कोष (एनडीआर), जिसे हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय में गठित किया जा रहा है, में रखे जाएंगे, इनका रख-रखाव किया जाएगा तथा इनका वैधीकरण किया जाएगा।
- **साधारण बहु-ग्राहक माडल के माध्यम से आंकड़े एकत्र करना:** साधारण बहु ग्राहक माडल के माध्यम से भू-वैज्ञानिक आंकड़े एकत्रित करने की नीति लागू की जा रही है। यह मॉडल, परियोजना शुल्क के एकबारगी भुगतान से लागत की वसूली करने के पश्चात, लाभ की साझेदारी वाली पूर्व की राजकोषीय शब्दावली का स्थान लेगा।
- **पूर्वोत्तर क्षेत्र में गैस प्रचालन के लिए समान अवसर देना:** पूर्वोत्तर क्षेत्र में अन्वेषण और उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए, इस क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी कंपनियों को भी गैस आप्रेशन पर 40 प्रतिशत आर्थिक सहायता दी गई है।
- **गैस ग्रिड की आधारभूत संरचना:** मौजूदा 15,000 कि॰मी॰ के गैस पाइपलाइन नेटवर्क के अतिरिक्त, गैस ग्रिड नेटवर्क के पूरा किए जाने के लिए 15,000 कि॰मी॰ के और नेटवर्क की योजना बनाई गई है।

परिशोधन क्षमता

6.31 भारत वैश्विक परिशोधन क्षेत्र में एक प्रमुख भागीदार है। 1.4.2014 की स्थिति के अनुसार, इसकी परिशोधन क्षमता 215.066 एमएमटीपीए है। अप्रैल-दिसम्बर 2014-15 के दौरान, उत्पादित कच्चा तेल 166.685 एमएमटी था जो अप्रैल-दिसम्बर 2013-14 के 166.362 एमएमटी की अपेक्षा मामूली सा अधिक था।

अपरंपरागत स्रोतों की खोज

6.32 कोल बेड मीथेन (सीबीएम): देश में सी॰बी॰एम॰ की खोज के लिए उपलब्ध 26,000 वर्ग कि॰मी॰ के कोयले वाले कुल क्षेत्र में से, 17,000 वर्ग कि॰मी॰ में खोज शुरू कर दी गई है। देश में सी॰बी॰एम॰ के अनुमानित संसाधन, लगभग 92 ट्रिलियन क्यूबिक फीट (टीसीएफ) है जिसमें से अभी तक केवल 9.9 ट्रिलियन क्यूबिक फीट की पुष्टि की गई है। लगभग 0.60 मिलियन मीट्रिक मानक क्यूबिक मीटर प्रतिदिन के वर्तमान उत्पादन के कारण भारत में सी॰बी॰एम॰ का वाणिज्यिक उत्पादन अब एक वास्तविकता बन पाया है।

6.33 शैल तेल और गैस : शैल तेल और गैस के मूल्यांकन के प्रथम चरण में ओ॰एन॰जी॰सी॰ को तथा ओ॰आई॰ एल॰ को पच्चास पेट्रोलियम एक्सपेलेरेशन लीज़ (पी॰ई॰एल॰) पेट्रोलियम माइनिंग लीज. (पी॰एम॰एल॰) ब्लॉक आबंटित किए गए हैं। यह ब्लाक असम (6 ब्लाक), अरुणाचल प्रदेश (1 ब्लॉक), गुजरात (28 ब्लॉक), राजस्थान (1 ब्लॉक), आन्ध्र प्रदेश (10 ब्लाक) और तमिलनाडु (09 ब्लॉक) में अवस्थित हैं। ओ॰एन॰जी॰सी॰ ने कैम्बे बेसिन की शैल गैस/शैल तेल के भण्डार का मूल्यांकन करने के लिए कैम्बे बेसिन, गुजरात में एक कुआं ड्रिल किया है और एक की खुदाई की है।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा

6.34 देश में सौर ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए दो नई योजनाएं अर्थात् 'सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास की योजना' और 'नहर किनारों और नहर के ताप पर ग्रिड से जुड़े सौर पी॰पी॰ पावर प्लान्टों के विकास की 'पायलट-सह-प्रदर्शन परयिोजना' दिसम्बर, 2014 से शुरू की गई थी। सिंचाई और पेयजल के लिए सोलर पम्पिंग कार्यक्रम की मौजूदा योजना के अंतर्गत अनुपूरक दिशा-निर्देश जारी किए गए थे ताकि चालू वर्ष के दौरान देश भर में निर्धारित लक्ष्य वाले ऐसे एक लाख पम्पों के सौर ऊर्जा से चलाया जा सके।

6.35 ग्रिड से जुड़े सौर पी॰वी॰ पावर प्लान्टों के विकास की पायलट सह प्रदर्शन योजना' के अंतर्गत नहर-टॉप की 34 मेगावाट की परियोजनाओं और नहर के किनारों की 35 मेगावाट की परियोजनाओं को अब तक सिद्धान्तत: अनुमोदन दिया गया।

कोयला

6.36 घरेलू कोयले के उत्पादन में अत्यधिक बढ़ोतरी इस समय बेहद जरुरी है, जब देश आर्थिक विकास की बहाली करने के प्रयास कर रहा है। अत:, इस समय कोयले की मात्रा, गुणवत्ता और परिवहन के आयामों का समयबद्ध तरीके से निवारण करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है ताकि उभरती अर्थव्यवस्था की ईंधन की आवश्यकताएं पूरी हो सके।

उत्पादन

6.37 वर्ष 2014-15 के लिए कोयले के उत्पादन का वार्षिक लक्ष्य 630.25 मीट्रिक टन है। अप्रैल-दिसम्बर, 2014 के दौरान कच्चे कोयले का 426.7 मीट्रिक टन का उत्पादन, वर्ष 2013-14 की तदनुरूपी अवधि की 1.5% वृद्धि की तुलना में 9.1% बढ़ गया। हालांकि पिछले कई वर्षों से कोयले के उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है, फिर भी ईंधन के अभाव से ग्रस्त विद्युत केन्द्रों से अर्थव्यवस्था में कोयले की अधिक मांग के कारण कोकिंग एवं गैर कोकिंग कोयले के आयात सहित कुल आयात में वृद्धि हो रही है (सारणी 6.6)।

कोयला खनन (विशेष प्रावधान) अध्यादेश, 2014

6.38 कतिपय कोयले के ब्लाकों के आवंटन को रद्द करने और कोयले के ऐसे ब्लाकों के बारे में निदेश जारी करते हुए उच्चतम न्यायालय के दिनांक 20 अगस्त, 2014 के निर्णय और दिनांक 24 सितम्बर, 2014 के आदेश से, कोयला क्षेत्र में उत्पन्न अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए सरकार ने शीघ्र निर्णय लिए हैं। केन्द्र सरकार ने, दिनांक 21.10.2014 को कोयला खनन (विशेष प्रावधान) अध्यादेश, 2014 जारी किया तथा इसके पश्चात दिनाक 26.12.2014 को कोयला खनन (विशेष प्रावधान) द्वितीय अध्यादेश, 2014 जारी किया। इन अध्यादेशों को जारी करने का मुख्य उद्देश्य विकास के लिए इस्पात, सीमेंट और विद्युत सेवाओं को कोले की खानों का आबंटन करने की व्यवस्था करना तथा नीलामी अथवा आबंटन (सरकारी कम्पनियों को), के माध्यम से

सारणी 6.6 : कोयले का उत्पादन, आपूर्ति तथा आयात

(मिलियन टन)

वर्ष	अखिल भारतीय कोयला		सीआईएल		आयात		कुल आयात
	उत्पादन	ऑफटेक/ आपूर्ति	उत्पादन	ऑफटेक/ आपूर्ति	कोकिंग	नॉन-कोकिंग	
2008-09	492.76	489.17	403.73	400.72	21.08	37.92	59.00
2009-10	532.04	513.79	431.26	415.22	24.69	48.57	73.26
2010-11	532.70	523.47	431.32	423.78	19.48	49.43	68.91
2011-12	539.95	535.30	435.84	432.62	31.80	71.05	102.85
2012-13	556.40	567.14	452.21	464.54	35.56	110.22	145.78
2013-14	565.77	571.25	462.41	470.91	37.19	131.25	168.44
2014-15*	485.38	497.12	388.98	398.29	27.6#	110.0#	137.6#

स्रोत : कोयला मंत्रालय

टिप्पणी : *जनवरी, 2015 तक

#आयात संबंधी आंकड़े नवम्बर, 2014 तक है। सीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड है।

चयन किए जाने वाले नए आबंटियों को भूमि और इससे सम्बद्ध खनन आधारभूत संरचना के साथ-साथ खानों/ब्लाकों के संबंध में अधिकारों, हकदारी और हितों का कारगर अंतरण सुनिश्चित करना है। अब कोयला ब्लाकों का आबंटन, उपर्युक्त अध्यादेश और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसरण में किया जाएगा तथा कोयला ब्लाकों की नीलामी, ई-नीलामी प्रक्रिया से की जाएगी ताकि प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जा सके। नीलामी के लिए फ्लोर/रिजर्व मूल्य के निर्धारण तथा इन कोयला खानों/ब्लाकों के आबंटन की क्रिया विधि भी सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। सरकार ने कोयले के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं को जल्दी पूरा किए जाने की भी उच्च प्राथमिकता तय की है।

खनिज

6.39 सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में खनन और उत्खनन का हिस्सा 2010-11 में 2.8% से कम होकर 2013-14 में 2.1% हो गया है (अनन्तिम अनुमान)। इस अवधि के दौरान, विभिन्न न्यायिक निर्णयों तथा न्यायमूर्ति शाह आयोग की रिपोर्ट के आलोक में खनन के कई पट्टों को या आस्थगित कर दिया गया अथवा बंद कर दिया गया। खनन क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं पर काबू पाने के लिए पारदर्शिता तथा दक्षता के दृढ़ सिद्धांतों पर आधारित एक सक्षम पर्यावरण का निर्माण किया जा रहा है ताकि घरेलू तथा विदेशी निवेशकों दोनों के लिए समान अवसर प्रदान किए जा सकें।

नीतिगत ढांचे का निर्धारण

6.40 खनन क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए खनन तथा खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर) के प्रावधानों को संशोधित करने का निर्णय, इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया है। (क) खनन पट्टों के नीलामी द्वारा आबंटन में व्यापक पारदर्शिता; (ख) आसान हस्तांतरण को प्रोत्साहित करके उच्च प्रौद्योगिकी तथा निजी निवेश को आकर्षित करना; (ग) राज्य सरकारों के लिए अधिक हिस्सा प्राप्त करना। इस आशय प्रभाव से 12.1.2015 को एक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया है। खनन तथा खनिज (विकास विनियमन) (संशोधन अध्यादेश 2015) में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं सम्मिलित हैं:-

(क) **उचित मूल्य की वसूली के लिए नीलामी:** खनिज संसाधनों की खोज में पारदर्शिता को सुधारने तथा खनिज संसाधनों के उचित मूल्य की वसूली के लिए प्रतियोगी बोली के ही माध्यम से खनिज रियायतें प्रदान करने के प्रावधान किये गए है। तथापि सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था के संबंध में व्यवस्था को अलग से निर्धारित किया जाना होगा।

(ख) **विवेकाधिकार को समाप्त करना और संभावित बाधाओं का समाधान करना:** नवीनीकरण प्रदान करने में विवेकाधिकार को समाप्त करने के लिए

खनन पट्टों के नवीनीकरण के प्रावधानों को समाप्त किया गया है। खनन पटटे को बढ़ाकर पचास वर्ष कर दिया गया है। पचास वर्षों के पश्चात पटटे की नीलामी की जाएगी।

(ग) **योजना से प्रभावित लोगों/जिलों को राहतः** खनन द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के लाभ के लिए निधियां निर्धारित करने के लिए खनन से प्रभावित प्रत्येक जिले में जिला खनिज प्रतिष्ठानों की स्थापना की घोषणा की गई है। प्रतिष्ठान के लिए संसाधन अतिरिक्त उगाही के माध्यम से जुटाए जाएंगे जो कि रॉयल्टी के एक-तिहाई से अधिक और जैसा भी भारत सरकार समय-समय पर निर्धारित करे, नहीं होने चाहिए। राज्य सरकारों को प्रतिष्ठान की शासन संरचना तथा इसकी निधियों के प्रभावी प्रयोग के लिए नियम बनाने की आवश्यकता है।

(घ) **अन्वेषण को प्रोत्साहनः** क्षेत्रीय तथा विस्तृत खोज के उद्देश्य से राष्ट्रीय अन्वेषण न्यास की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इसकी रायल्टी, जो कि 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, की अतिरिक्त उगाही के माध्यम से निधि प्रदान की जाएगी।

(ङ) **निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए सुगम हस्तांतरण की सुविधाः** आधुनिक प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने तथा निजी संस्थाओं को आकर्षित करने के लिए खनिज रियायतों के सुगम हस्तांतरण के लिए प्रावधान किए गए जो कि नीलामी के माध्यम से प्रदान किए गए है।

(च) **मामलों का समय से निदानः** प्रशासन में विलंब का उन्मूलन करने तथा खनिज संसाधनों के इष्टतम तथा शीघ्र विकास को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार को खनन पट्टे या संभावित पटटे एवं खनन पटटे के अनुदान के लिए आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए विभिन्न चरणों मे समय-सीमा निधरित करके नियमावली बनाने के लिए सशक्त बनाने के लिए प्रावधान किए गए है।

(छ) **अवैध खनन के खिलाफ निवारक कार्रवाईः** अवैध खनन के संकट के उन्मूलन के सम्बन्ध में, जिन मामलों में अवैध खनन सिद्ध हो गया है, पांच वर्ष का कारावास या 5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर के जुर्माने का प्रस्ताव है।

6.41 नई खनन व्यवस्था के लिए निर्बाध अंतरण हेतु सरकार और विभिन्न अन्य एजेंसियों द्वारा अनेक उपाय करने की जरुरत है। इनमें संसद में संशोधन विधेयक आगे बढ़ाना एमएमडीआर अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन के चलते खनिज रियायत नियमावली, 1960 और खनिज संरक्षण व विकास नियमावली 1988 में संशोधन के नियम बनाना, मानक बोलीकरण दस्तावेज बनाने सहित नीलमी प्रक्रिया निर्धारित करना, जिला खनिज फाउंडेशन व राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास की स्थापना करना और सबसे महत्वपूर्ण रूप से राज्य सरकारों की सहायत करना और महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन में बिना अवरोध के नीलामी व्यवस्था का अंतरण पूरा करने के लिए उनकी क्षमता सुदृढ करना।

रेलवे

6.42 भारतीय रेलवे के सामने साधारण विकास के वातावरण में भारी यातायात वहन करने की चुनौतियां हैं। भारतीय रेलवे के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, क्षमता निर्माण, नेटवर्क का आधुनिकीकरण, परिसम्पत्ति उपयोगिता तथा उत्पादकता में सुधार, रोलिंग स्टाक का आधुनिकीकरण एवम रख-रखाव कार्य तथा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना शामिल है। डीएफसी, उच्च गति की रेल, उच्च क्षमता वाला रोलिंग स्टाक, अंतिम मील रेल सम्पर्क तथा बंदरगाह संयोजकता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। बॉक्स 6.3 में भारतीय रेलवे द्वारा की गई कुछ पहलें सूचीबद्ध की गई हैं।

माल भाड़ा निष्पादन

6.43 वर्ष 2013-14 के दौरान, भारतीय रेलवे की माल लदाई 1051.64 मिलियन टन रही, जबकि पिछले वर्ष 2012-13 में 1008.09 मिलियन टन थी। जो 4.32 प्रतिशत वृद्धि का द्योतक है। अप्रैल-दिसम्बर 2014-15 के दौरान भारतीय रेलवे ने राजस्व अर्जक माल-भाड़े से 806.38 मिलियन टन भार वहन किया। जबकि इस अवधि के इस लक्ष्य के लिए बजट लक्ष्य 807.18 टन था। माल भाड़ा ढुलाई पिछले वर्ष 2013-14 की इसी अवधि में, 39.15 मिलियन टन की वृद्धि प्रदर्शित करते हुए, 5.1% की वृद्धि दिखाती है।

बाक्स 6.3 : 2014-15 के दौरान भारतीय रेलवे (आईआर) द्वारा उठाए गए कुछ नए कदम

(i) **उधमपुर-कटरा ब्रॉड गेज लाइन का पूरा किया जाना:** इंजीनियरी में एक चमत्कार के रूप में भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर में उधमपुर-कटरा ब्रॉड गेज लाइन पूरी की है जिससे कि यह राज्य शेष राष्ट्र के और समीप आ गया है। जुलाई 2014 से कटरा तक चार रेलों की सुविधाएं भी प्रारंभ हो गई हैं।

(ii) **मेघालय को रेल सुविधा प्राप्त हुई:** अगस्त 2014 में दुभनोई-मेंदीपाथर की नई लाइन के पूरा होने से, मेघालय को रेल की सुविधा प्राप्त हुई। मेघालय में मेंदीपाथर से गुवाहाटी, असम तक नया मार्ग नवंबर, 2014 में रेल से जुड़ गया।

(iii) **उच्च गति की बुलेट ट्रेनें:** देश के मुख्य महानगरों और विकास केन्द्रों को जोड़ने वाली उच्च गति वाली रेल के डायमंड चतुर्भुजीय नेटवर्क के एक भाग के रूप में, देश में मुम्बई-अहमदाबाद गलियारे पर उच्च गति की बुलेट ट्रेन चलाए जाने के लिए प्रयास जारी है।

(iv) **अत्याधुनिक ई-टिकटिंग अनुप्रयोग:** केन्द्रीय रेलवे सूचना केन्द्र द्वारा विकसित अत्याधुनिक ई-टिकटिंग से ऑनलाइन टिकट बुकिंग की क्षमता, प्रति मिनट पूछताछ और समवर्ती कार्य करने की क्षमता में भारी वृद्धि हुई है।

(v) **प्रीमियम विशेष ट्रेनें:** साधारण किरायों पर चलने वाली ट्रेनों की तुलना में यात्रियों को पर्याप्त बर्थ उपलब्ध कराने के लिए, तथा अतिरिक्त राजस्व कमाने के लिए, भारतीय रेलवे ने, गतिशील किराया प्रणाली में प्रीमियम विशेष ट्रेनों की शुरूआत की है।

(vi) **सौर ऊर्जा को काम में लाना:** रेल कोच फैक्टरी, रायबरेली, वर्तमान में, पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा पर कार्य कर रही है। 30 किलोवॉट का एक सौर संयत्र नई दिल्ली, रेल भवन की छत पर लगाया गया है और सरकारी निजी-भागीदारी मॉडल के तहत् अभिमानत: अन्य रेल इमारतों पर शीघ्रता से सौर संयत्र लगाने के प्रावधान किया जा रहा है।

(vii) **चुनिंदा रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई ब्रांडबैंड सेवा:** बंगलुरू तथा नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई ब्रॉडबैंड सुविधा प्रदान की गई है।

(viii) **ट्रेनों में ई-केटरिंग सुविधा:** भारतीय रेलवे भोजन प्रबंध तथा पर्यटन निगम को ट्रेनों में ई-कैटरिंग सुविधा के कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया है।

(ix) **चीन के साथ सहयोग:** रेलवे क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के संर्वधन के लिए भारत तथा जनवादी चीन की सरकारों ने एक समझौता ज्ञापन तथा एक कार्ययोजना पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन में संभावित सहयोग के क्षेत्र इस प्रकार है (i) हैवी हॉल माल-भाड़ा यातायात में प्रशिक्षण, (ii) वर्तमान मार्गों पर ट्रेनों की गति को बढ़ाना, (iii) स्टेशन पुनर्विकास, (iv) उच्च गति की ट्रेने तथा (v) रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना।

(x) **कोयला परिवहन परियोजनाओं का शीघ्र समापन:** झारखण्ड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कोयले की आवाजाही के लिए तीन रेल संपर्कता परियोजनाओं को फास्ट ट्रेक पर रखा गया है।

सेमी-हाई स्पीड ट्रेनें

6.44 नौ गलियारों को, 160/200 किलोमीटर प्रति घंटा की अर्ध उच्च गति वाली रेलों के लिए चुना गया है, जो इस प्रकार है (i) दिल्ली-आगरा (ii) दिल्ली-चंडीगढ़, (iii) दिल्ली-कानपुर, (iv) नागपुर-बिलासपुर, (v) मैसूर-बंगलुरू-चैन्नई (vi) मुम्बइ-गोवा (vii) मुम्बई-अहमदाबाद (viii) चेन्नई-हैदराबाद तथा; (ix) नागपुर-सिकंदराबाद। 160 किमी प्रति घंटा की गति वाली वाणिज्यिक सेवाओं संचालन के लिए नई दिल्ली-आगरा गलियारे पर सभी आवश्यक साधन प्रदान कर दिए गए हैं तथा गलियारा सेवा प्रारंभ करने के लिए तैयार है। चैन्नई-बंगलुरू-मैसूर गलियारे पर गति बढ़ाने पर व्यवहार्यता अध्ययन, चीन के साथ हुए सहयोग समझौते के अंतर्गत किया जा रहा है।

सड़कें

6.45 भारत के पास विश्व के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है जो 48.65 लाख कि.मी. से अधिक क्षेत्र मे फैला हुआ है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रैस वे, राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें तथा ग्रामीण सड़के शामिल हैं। 96,214 कि.मी. की कुल लंबाई वाले राष्ट्रीय राजमार्ग देश के मुख्य नेटवर्क के रूप में काम करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) नामक महत्वाकांक्षी परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। दिनांक 31.12.2014 को एनएचडीपी की स्थिति सारणी 6.7 में दी गई है।

एनएचडीपी का वित्तपोषण

6.46 एनएचडीपी के वित्तपोषण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को पेट्रोल और डीजल पर प्रभारित ईंधन उपकर का एक अंश आवंटित किया जाता है। एनएचएआई इसे

सारणी 6.7 : दिनांक 31.12.2014 को एनएचडीपी की स्थिति

क्रम सं	एनएचडीपी घटक	कुल लंबाई (कि.मी.)	पूरे किए गए 4/6 लेन (कि.मी.)	कार्यान्वयनाधीन		दिया जाने वाला शेष सिविल कार्य (कि.मी.)
				लंबाई (कि.मी.)	ठेकों की संख्या	
1.	एनएचडीपी चरण I (जी क्यू, पत्तन संपर्कता, अन्य)	7,522*	7,519	3	1	-
2.	उत्तर दक्षिण-पूर्व पश्चिम कारीडोर	6,647	5,836	441	45	370
3.	एनएचडीपी चरण III	12,109	6,352	4,708	125	1,049
4.	एनएचडीपी चरण IV	20,000	907	7,759	114	11,334
5.	एनएचडीपी चरण V	6,500	1,973	2,107	27	2,420
6.	एनएचडीपी चरण VI	1,000	0	0	0	1,000
7.	एनएचडीपी चरण VII	700	22	19	1	659
	जोड़	**54478**	**22609**	**15037**	**313**	**16832**

टिप्पणी : *चेन्नई- इन्नोर पत्तन की दो परियोजनाएं (24 कि.मी.) पुनः प्रदान की गई हैं। ये दोनों परियोजनाएं चरण-V में दूसरी परियोजना (6 कि.मी.) से मिला दी गई थी जिससे कुल लंबाई 24 कि.मी. बढ़ गई।

बाजार से अतिरिक्त निधि उधार लेने के लिए उपयोग करता है। अभी तक 54 ईसी (पूंजीगत लाभ कर छूट) बाण्ड और कर मुक्त बाण्ड के माध्यम से उगाही गई निधियों तक ऐसा उधार सीमित है।

6.47 विगत कुछ वर्षों में देखी गई आर्थिक मंदी यातायात की वृद्धि में गिरावट और परिणामतः बीओटी के अंतर्गत सड़क परियोजनाओं हेतु कम राजस्व की उगाही कर रहा है। यह समस्या खनन पर प्रतिबंध लगाने, विनिर्माण और निर्यात आदि में गिरावट के कारण बढ़ गई थी। घटे हुए राजस्व संग्रहण ने ग्राहियों द्वारा ऋणशोधन को विपरीत रूप से प्रभावित किया। इसके कारण ऋण खातों में व्यापक चूक हुई। ग्राहियों द्वारा ऋण अदायगी में असमर्थ रहने पर उन्हें ऋणदाताओं से ऋणों की पुनर्संरचना का अनुरोध करना पड़ा। ऋण अदायगी के आस्थगन के कारण बढ़ती ऋण देनदारियों के चलते क्षेत्रवार भुगतान बढ़ गया जो सड़क क्षेत्र में उच्चतम भुगतान मानदण्ड तक पहुंच गया। सड़क क्षेत्र के ऋण पोर्टफोलियों की चूक को अनुमानित रूप से उच्च स्तर का सामना करना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप, बीओटी पीपीपी परियोजनाओं की मांग कम हो गई क्योंकि डेवल्परों के पास लगाने को इक्विटी नहीं थी और ऋणदाता ऋण निधियां उपलब्ध कराने में अनिच्छुक थे। बाजार में विश्वास की बहाली के लिए सरकार को आगे आना पड़ा और अनेक पहलें की गई। यह सुनिश्चित करने के लिए कि नकदी प्रवाहों में रूकावटों के कारण परियोजना कार्यान्वयन बीओटी परियोजनाओं में किश्त अदायगी के पुनर्निर्धारण की अनुमति दी गई जो भारी राजस्व गिरावट वाले ग्राहियों को दी जाएगी।

वामपंथी चरमपंथ से प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्कता का विकास

6.48 सरकार ने लगभग 7300 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से विशेष परियोजना के तौर पर वामपंथी चरमपंथ से प्रभावित क्षेत्रों में लगभग 1126 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग और 4351 किलोमीटर राज्य सड़कों के विकास के लिए योजना अनुमोदित की है। दिसम्बर 2014 तक 3299 किलोमीटर लम्बी सड़कें बनकर तैयार हो गई हैं और अब तक इन पर 4374 करोड़ रुपये तक संचयी व्यय हुआ है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में निर्माण कार्यों को गति देने के लिए निगम का सृजन

6.49 पूर्वोत्तर क्षेत्र और सीमा क्षेत्रों में राजमार्गों के विकास की गति बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड सृजित किया गया है।

नागर विमानन

6.50 नागर विमानन क्षेत्र की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक उपलब्धि यह है कि हवाई अड्डों पर पीपीपी माडल की शुरूआत से अवसंरचना में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है और राजस्व के संग्रहण में वृद्धि हुई है।

यात्री और माल ढुलाई का संचालन

6.51 वर्ष 2014-15 के दौरान भारतीय हवाई अडडों पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों और माल के संचालन में अच्छी बढ़ोतरी

हुई है। अप्रैल-दिसम्बर 2014-15 के दौरान भारतीय हवाई अडडों पर 101.34 मिलियन घरेलू यात्री और 36.74 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय यात्री संभाले गये थे। अप्रैल-दिसम्बर 2014-15 के दौरान 2013-14 की इस अवधि की तुलना में घरेलू यात्री परिवहन 7.1 प्रतिशत बढ़ा और अंतर्राष्ट्रीय यात्री परिवहन 10.3 प्रतिशत बढ़ा। अप्रैल-दिसम्बर 2014-15 के दौरान भारतीय हवाई अड्डों पर अंतर्राष्ट्रीय माल परिवहन 1.17 मिलियन मीट्रिक टन जबकि घरेलू माल परिवहन 0.74 मिलियन मीट्रिक टन रहा। अप्रैल-दिसम्बर 2014-15 के दौरान पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय माल परिवहन 8.3 प्रतिशत बढ़ा और घरेलू माल परिवहन 19.3 प्रतिशत बढ़ा।

विमानपत्तन अवसंरचना

6.52 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) देश में 125 वायुपत्तनों का प्रबंधन कर रहा है। यह जमीन के साथ-साथ हवाई यातायात सेवाओं के प्रबंधन की अपनी अवसंरचना को संवर्धित और उन्नत कर रहा है। एएआई ने देश में दूरवर्ती क्षेत्रों में आर्थिक विकास और हवाई संपर्क में सुधार लाने के लिए स्पष्ट वायुपत्तन माडल पर निर्णय लिया है। एएआई ने 2014-15 के दौरान बीकानेर और जैसलमेर (राजस्थान), बठिंडा (पंजाब), कुड्डपा (आंध्र प्रदेश) स्थित हवाईअड्डों का विकास कार्य पूरा कर लिया है।

पहलें

6.53 देश भर में बेहतर वायुपत्तन अवसंरचना सुदृढ़ करने के उपाय निम्नानुसार हैं: (क) सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं का कार्यान्वयन: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के चुनिंदा चार वायुपत्तनों नामत: चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद और जयपुर में पीपीपी परियोजनाएं कार्यान्वित की जाएं। (ख) ग्रीनफिल्ड वायुपत्तनों नामत: गोवा में मोपा; महाराष्ट्र में नवी मुंबई; शिरडी और सिंधुदुर्ग; कर्नाटक में शिमोगा, गुलबर्गा, हासन और बीजापुर, केरल में कन्नूर और अर्नामूला, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, सिक्किम में पेक्यांग, मध्यप्रदेश में दतिया, ग्वालियर (कार्गो), उत्तर प्रदेश में कुशीनगर और पुद्दुचेरी में कड़ाईकल की स्थापना करना और (ग) टियर-II और टियर-III के शहरों नामत: कर्नाटक में हुबली और बेलगाम, राजस्थान में किशनगढ़, ओड़ीशा में झारसुगुडा और अरूणाचल प्रदेश में तेजू का विकास करना।

पत्तन

भारतीय पत्तनों पर माल ढुलाई

6.54 अप्रैल-दिसंबर 2014-15 के दौरान वृहद और वृहद-भिन्न पत्तनों ने 2013-14 की इसी अवधि की तुलना में 6.8 प्रतिशत की वृद्धि प्रतिबिंबित करते हुए 775.17 मिलियन टन के कुल माल की घराई-उतराई का लक्ष्य प्राप्त किया है (**सारणी 6.8**)। वृहद-भिन्न पत्तनों पर माल में 9.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि वृहद पत्तनों पर यह वृद्धि 5.0 प्रतिशत थी।

दूरसंचार

6.55 दूरसंचार क्षेत्र निरंतर तेजी से प्रगति कर रहा है। अप्रैल-नवम्बर 2014-15 के दौरान 31.2 मिलियन नये टेलीफोन कनैक्शन जोड़े गए थे जो 2013-14 की तदनुरूप अवधि में 12.13 मिलियन नए कनैक्शनों से काफी आगे है। समग्र टेलिफोन घनता अप्रैल 2014 के शुरू में 75.23 प्रतिशत से बढ़कर नवंबर 2014 के अंत में 77.12 प्रतिशत हो गई जबकि कुल ब्राडबैंड कनैक्शनों ने 82.22 मिलियन का आंकड़ा छू लिया है।

सारणी 6.8 : पत्तनों पर माल की ढुलाई

(मिलियन टन)

पत्तनों की श्रेणी	2012-13	2013-14	अप्रैल-दिसंबर	
			2013-14	2014-15
वृहद् पत्तन	545.83	555.49 (1.8)	413.06	433.86
वृहद्-भिन्न पत्तन	387.92	420.24 (8.3)	312.84	341.31
सारे पत्तन	933.75	975.73 (4.5)	725.90	775.17

***स्रोत* : पोत परिवहन मंत्रालय**

***टिप्पणी* : कोष्ठकों में आंकड़े पिछले वर्ष की अवधि की तुलना में वृद्धि दर्शाते हैं।**

राष्ट्रीय आप्टिकल फाईबर नेटवर्क परियोजना

6.56 पहुंच में समानता और ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास में तेजी लाया जाना सुनिश्चित करने के लिए दूरसंचार विभाग ने देश में सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय आप्टिकल फाईबर नेटवर्क परियोजना के अंतर्गत न्यूनतम 100 एमबीपीएस बैंडविथ से जोड़ने की योजना बनाई है। लगभग 5000 गांवों में केबल डालने का काम पूरा हो चुका है और यह परियोजना संभवत: 31.12.2016 तक पूरी हो जाएगी।

स्पेक्ट्रम नीलामी

6.57 दूरसंचार विभाग ने 2100 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्टज और 800 मेगाहर्ट्ज बैंडों में स्पैक्ट्रम की नीलामी करने की योजना बनाई है। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012 के अनुसार सस्ती और विश्वसनीय संचार सेवाओं के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए आम जनता के हितों को पूरा करने के लिए अधिक स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराने हेतु एक कार्य योजना भी बनाई जाएगी।

शहरी अवसंरचना

6.58 भारत में शहरीकरण महत्वपूर्ण और न बदली जाने वाली प्रक्रिया बन गया है जो राष्ट्रीय आर्थिक विकास और गरीबी कम करने का महत्वपूर्ण निर्धारक है। शहरीकरण की यह बढ़ती हुई गति समुचित अवसंरचना उपलब्ध कराने, संपर्क में सुधार करने और संसाधन जुटाने के बारे में चुनौतियां प्रस्तुत करेगी। शहरीकरण का स्तर 2001 के 27.78 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 31.18 प्रतिशत हो गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कम से कम पैंतीस शहरों ने एक मिलियन से अधिक की जनसंख्या का आंकड़ा छू लिया था। वृद्धि की वर्तमान दर पर भारत में शहरी जनसंख्या 2030 तक 575 मिलियन पहुंचने की संभावना है।

नई योजनाएं

6.59 शहरी अवसंरचना के विकास हेतु तीन नई योजनाओं की घोषणा की गई है। ये हैं – स्वच्छ भारत मिशन, धरोहर शहर विकास और सुदृढ़ीकरण योजना (हृदय) और स्मार्ट सिटी योजना। सभी वैधानिक शहर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कवर किए जाएंगे जो 2 अक्तूबर 2019 तक लागू रहेगा। स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्य खुले में शौच को समाप्त करना, हाथ से मल की सफाई को समाप्त करना, आधुनिक और वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा स्वच्छता और जनस्वास्थ्य से इसके संबंध के बारे में जागरूकता पैदा करना हैं। हृदय का उद्देश्य धरोहर शहर की आत्मा का चरित्र चित्रण सुरक्षित रखना और निजी क्षेत्र की भागीदारी सहित विभिन्न संभावनाएं खोजते हुए समावेशी धरोहर से जुड़े शहरी विकास को सुसाध्य बनाना है। निर्धारित मानदण्डों के आधार पर पहचाने गए 100 स्मार्ट शहरों का विकास करने का प्रस्ताव है। इन शहरों में जनसेवाएं सुधारने के लिए स्मार्ट (बुद्धिमान), भौतिक, सामाजिक संस्थागत और आर्थिक अवसंरचना होगी।